राजस्व वाद संख्या :– 204/2013

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण	बनाम	वादीगण/अप्रार्थीगण
1. मोहम्मद शरीफ पुत्र इसे खां		1. दीन मोहम्मद पुत्र जीवणखां
2. फतेह मोहम्मद पुत्र गुलाब खां		2. अब्दुल गनी पुत्र मेहमूद खां
3. अब्दुल शकुर पुत्र मुसे खां		3. नसीरा पुत्र इमाम खां
सभी जाति मुसलमान		4. निहाल खां पुत्र हकीम खां
निवासी हाजीपुरा (ननेऊ)		सभी जाति मुसलमान
तहसील फलोदी जिला जोधपुर		निवासी हाजीपुरा (ननेऊ)
		तहसील फलोदी जिला जोधपुर

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित :–

1. श्री सिकन्दर मोहम्मद घोसी एवं श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित
2. श्री जमालदीन मंगलिया अधिवक्ता वादीगण/अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित

दिनांक : 30/01/2018

निर्णय

न्यायालय के समक्ष दौराने वाद प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 21.11.2016 को पेश कर कथन किया कि वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा लाये गये वाद पत्र की विषय वस्तु बंटवाड़ा एवं खातेदारी है। इन्ही पक्षकारों के मध्य न्यायालय तहसीलदार फलोदी एवं न्यायालय ग्राम पंचायत ननेऊ जो कि उक्त विवाधक (विषय वस्तु) पर सुनवाई हेतु पूर्ण रूप से सक्षम न्यायालय थे उक्त न्यायालय द्वारा उक्त विवादित विषय वस्तु का विचारण कर वादीगण/अप्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुवे विधि सम्वत् प्रक्रिया का अनुसरण कर प्रकरण सुना जाकर वाद की विषय वस्तु पर अंतिम रूप से विनिश्चय किया जा चुका है। वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त हस्तगत प्रकरण धारा 11 सी.पी.सी. के तहत पूर्व न्याय की श्रेणी में आता है जो कि खारिज योग्य हैं अंत में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने न्यायालय से प्रार्थना की कि वादीगण का वाद धारा 11 सी.पी.सी. से बाधित होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

वादीगण/अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सरासर गलत एव मिथ्या है प्रार्थीगण ने पूर्व के

सहायक कलक्टर
बाप (जिला जोधपुर) राज.

बंटवाड़ा प्रतिवादीगण द्वारा फर्जी किया गया बताया तथा उक्त बंटवाड़ा के सम्बन्ध श्रीमान् तहसीलदार फलोदी से नकल चाही गई तथा श्रीमान् तहसीलदार फलोदी दिनांक 14.12.1974 के बंटवाडें की नकल पत्रावली पर उपलब्ध नही होने से नक प्राप्त नहीं हुई तथा जवाब में यह भी निवेदन किया कि ग्राम ननेऊ के खसरा नम्ब 194 रकबा 725.16 बीघा में वादीगण का 2/3 हिस्सा था। जिसे फर्जी बंटवाड़ा क जरिये प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने हड़प ली है जिसका मुकदमा भी पुलिस थाना जाम्ब में दर्ज करवाया गया। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ की प्रति पेश नहीं की है। विचाराधीन मामला अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का है इस प्रकार के मामले का निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सी.पी.सी. की परिभाषा में नहीं आता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारान् की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया गया। दौराने बहस प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने बताया कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण एवं वादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि ग्राम ननेऊ के खसरा नम्बर 194 रकबा 725.16 बीघा स्थित थी। न्यायालय का ध्यान जमाबंदी सम्वत् 2027 से 2030 की ओर दिलाते हुवे निवेदन किया कि उक्त जमाबंदी में वादीगण का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण का 4/5 हिस्सा बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज था जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज थे। वादीगण/अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं की 2/3 हिस्सा भूमि होना अंकित किया है जबकि सम्पूर्ण वाद पत्र में प्रत्येक वादीगण/अप्रार्थीगण का 1/7 – 1/7 हिस्सा अंकित किया है। वादीगण स्वयं ने अपने हिस्से के बारे में अलग अलग बात कही है इसलिये वादीगण बार बार अपने कथनों से विमुक्त हो रहा है। साथ ही प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया कि पक्षकारान् के मध्य एक पारिवारिक बंटवाड़ा श्रीमान् तहसीलदार फलोदी के समक्ष उपरोक्त भूमि का पेश किया गया था जिस पर श्रीमान् तहसीलदार फलोदी द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.12.1974 के अनुसार बंटवाड़ा मंजुर होने से नामांतरकरण स्वीकृत किया गया जिसमें वादीगण के हिस्से में 145.03 बीघा, प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में 193.11 बीघा, प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 2 के हिस्से में 193.11 बीघा, प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 3 के हिस्से में 193.11 बीघा रखी गई थी। उक्त आदेश पर हल्का पटवारी द्वारा नामांतरकरण संख्या 222 रेकर्ड से मिलान किया जाकर नामांतरकरण भर कर ग्राम पंचायत ननेऊ की बैठक में पेश हुआ। बाद जांच उक्त नामांतरकरण स्वीकृत किया गया। उक्त नामांतरकरण से प्राप्त वादीगण ने अपने हिस्से

सहायक कलक्टर
बाप (जिला जोधपुर) राज.

की भूमि के फौतेदगी म्यूटेशन एवं कई बेचान म्यूटेशन स्वीकृत करवाये गये। इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा जरिये म्यूटेशन संख्या 222 के जरिये पूर्व में हो चुका है तथा वादीगण/अप्रार्थीगण अपने हिस्सा, कब्जा एंव बंट की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। वादीगण/अप्रार्थीगण एंव प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के मध्य बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अलग अलग हिस्सा पूर्व से दर्ज चला आ रहा है तथा राजस्व नक्शा में भी अलग अलग तरमीम की जा चुकी है इसलिये वादीगण/अप्रार्थीगण का उक्त वाद पूर्व न्याय से बाधित है।

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने दौरान बहस यह भी बताया कि वादीगण/अप्रार्थीगण ने स्वयं उक्त बंटवाड़ा के बाद 1985 में 3 अलग अलग विक्रय पत्रों के जरिये प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण से भूमि क्रय की है। इसलिये उन्हें उस वक्त भी उपरोक्त बंटवाड़ा बाबत् पूर्ण जानकारी थी तथा उन्होनें प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की राजस्व रेकर्ड में दर्ज जमीन में उनका हिस्सा, कब्जा व बंट मानते हुवे ही जमीन खरीद की थी इसलिये अब नये सिरे से वादीगण/अप्रर्थीगण बंटवाड़ा करवाने के मुश्तहक नहीं है। वादीगण/अप्रार्थीगण का वाद धारा 11 सी.पी.सी. के तहत बाधित है। इसके अलावा वादीगण/अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से में आई 142.10 बीघा भूमि का विधिवत् दिनांक 30.12.1993 को एक लिखित बंटवाड़ानामा आपसी रजामंदी से श्रीमान् तहसीलदार फलोदी के समक्ष पेश कर स्वयं कथन किया कि वादीगण/अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की जमीन गांव ननेऊ के खसरा नम्बर 194 रकबा 142.10 बीघा स्थित है। जिसका विधिवंत् बंटवाड़ा करवाना चाहते है। यदि वादीगण/अप्रार्थीगण की भूमि 142.10 बीघा से अधिक होती तो वे उस समय भी पूर्व बंटवाड़े को चुनौती दे सकते थे लेकिन वादीगण ने अपने हिस्से में आई भूमि को स्वीकार कर उक्त बंटवाड़ा किया था। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपने पूर्व कथनों से विमुख नहीं हो सकता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में बंटवाड़ा हो चुका है साथ ही वे अपने खातेदारी अधिकारों की भूमि पर लगातार काबिज चले आ रहे है। वादीगण/अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर कई बार वितिय संस्थानों से ऋण भी प्राप्त कर नलकूप भी बना रखे है इसलिये सम्पूर्ण कथनों से वादीगण/अप्रार्थीगण का वाद धारा 11 सी.पी.सी. पूर्व न्याय (Res Judicata) से बाधित होने से खारिज योग्य है।

दौराने बहस वकिल वादीगण/अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के कथनों को दोहराते हुवे कथन किया कि पूर्व में कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ है। म्यूटेशन संख्या 222 फर्जी

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया। सर्व प्रथम वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य बंटवाड़ा से सम्बन्धित नामांतरकरण संख्या 222 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा म्यूटेशन संख्या 222 से पूर्व राजस्व रेकर्ड जमाबंदी का भी अवलोकन किया जिसमें वादीगण गफुर खां पुत्र मेहमूद खां, नसीरा पुत्र इमामखां, निहाल खां पुत्र हकीम खां, दीन मोहम्मद पुत्र जीवण खां 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण मोहम्मद शरीफ पुत्र इसे खां, फतेह मोहम्मद पुत्र गुलाब खां, अब्दुल शकुर पुत्र हाजी मुसे खां 4/5 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। नामांतरकरण संख्या 222 तहसीलदार फलोदी के आदेश दिनांक 14.12.1974 के अनुसार बंटवाड़ा मंजुर होने से भरा गया जिसकी जांच भू-अभिलेख निरीक्षक बाप द्वारा दिनांक 16.12.1974 को रेकर्ड से मिलान कर सहीं पाया जाना बताया गया तत्पश्चात् उक्त नामांतरकरण ग्राम पंचायत ननेऊ की बैठक में पेश होने पर जांच की गई तत्पश्चात् दिनांक 20.12.1974 को उक्त नामांतरकरण मंजुर किया गया। उक्त नामांतरकरण के बाद नामांतरकरण संख्या 319, 431, 450, 452, 453, 454, 459, 471, 501, 604, 625, 706, 850, 855, 920, 1065, 1145, 1146, 1206, 1322, 1397, 1535, 1631, 1673, 1690, 1719, 1734, 1769, 1779, 1784, 1808 भरे जा चुके है। हमने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा का अवलोकन किया खसरा नम्बर 194 करीब 35 भागों में विभक्त हो चुका है। इस प्रकार खसरा नम्बर 194/1 से 194/35 भागों में विभक्त है। राजस्व नक्शा में भी सभी खसरान् की भूमि की अलग अलग तरमीम भी मौजुद है। वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा 40 वर्ष बाद नामांतरकरण एवं बंटवाड़ा को उक्त दावा के जरिये चुनौति दी गई है। समस्त दस्तावेजात् अवलोकन से हमारा मत है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में बंटवाड़ा हो चुका है तथा राजस्व रेकर्ड अनुसार समस्त पक्षकारान् का हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अलग अलग दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण/अप्रार्थीगण का वाद पूर्व न्याय (Res Judicata) से बाधित होने के कारण खारिज योग्य है। हमने सी.पी.सी. की धारा 11 का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाधक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वालें उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्तपन अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है किसी पूर्वती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाध्य रहा है जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाध्यक वाद में उठाया गया है विचारण करने के लिये सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित निर्णय

2005 (2) आर.आर.टी. पेज 1305 रामस्वरूप बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अजमेर एवं अन्य प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया कि उक्त नजीर में भी वाद घोषणा एंव भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें प्रश्नगत मुद्दा पहले ही सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णित किया जा चुका था। इसलिये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने पश्चात्वर्ती वाद को Res Judicata से बाधित होने के कारण खारिज किया था। हस्तगत प्रकरण में भी पक्षकारान् एवं विषय वस्तु को लेकर पूर्व में तहसीलदार फलोदी एवं ग्राम पंचायत ननेऊ द्वारा इन्ही पक्षकारान् के मध्य बंटवाड़ा एवं घोषणा को निर्णित किया जा चुका है तथा उक्त वाद में भी पक्षकारान् एवं विषय वस्तु समान है। समस्त विवेचन से वादीगण/अप्रार्थीगण का वाद (Res Judicata) से बाधित होने से खारिज योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद Res Judicata से बाधित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उक्त आदेश आज दिनांक 30/01/2018 को खुले न्यायालय में लिख कर सुनाया गया।

न्यायालय सहायक जिला कलक्टर जिला जोधपुर (राज.)

(सुमित्रा पारीक)
सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

सहायक कलेक्टर
बाप (जिला जोधपुर) राज.